

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-216/2024

हेमराज गूर्जर, R.A.S.

दायर दिनांक-09.10.2024

जीसीएमएस नं. 2024/463

1. महेन्द्र सिंह आयु 45 साल पुत्र राधेश्याम जाति खटीक निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज०
2. वकील पुत्र सुखसिंह जाति जाटव निवासी गोढरा तहसील वैर जिला भरतपुर हालवासी नहर के पास सूरौठ जिला करौली राज०

-----वादीगण-02

बनाम

1. यादराम पुत्र चौथी जाति जाटव निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज०
2. बवली बेवा चेतन जाति जाटव निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज०
3. शशी पुत्री चेतन जाति जाटव निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज०
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली।

-----प्रतिवादीगण-04

दावा बावत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न० 216/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण हाजिरी श्री वीरसिंह मावई मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तकास्मा आराजी फाईनल डिक्री किया जाकर बंटवारा स्कीम दिनांक 03.01.2025 स्वीकार कर निम्नानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ

क्र. सं.	पक्षकार	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	वादी	महेन्द्र सिंह पुत्र राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा. देह खातेदार	2282 2280/1	0.23 है० नहरी-1 0.01 है० नहरी-1
2	वादी	वकील पुत्र सुखसिंह हिस्सा पूर्ण जाति जाटव सा.देह खातेदार	2280/2	0.10 है० नहरी-1
2	प्रतिवादी	यादराम पुत्र चौथी हि० 19/29 बवली पत्नि चेतन हि० 05/29 शशि पुत्री चेतन हि० 05/29 जाति जाटव सा. देह खातेदार	2278 2280/3	0.27 है० नहरी-1 0.02 है० नहरी-1

तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का ही एक भाग है। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15-1-25 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गूर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)